यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत** के माह 05/2017 से माह 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 18.09.2018 से 04.10.2018 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 25 05.2017 से 01.06.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2015 से माह 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2017 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग आदि वर्गो के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	72.08	68.25	3.83	1776.72	1746.15	30.57
2016-17	Nil	Nil	75.49	73.60	1.89	2026.52	1936.45	90.07
2017-18	Nil	Nil	90.26	84.34	5.92	2803.65	2745.23	58.42
2018-19 (8/2018)	Nil	Nil	81.26	35.63	45.63	1032.32	462.40	569.92

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2016–17			2017–18			2018–19		
	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	0	245.93	245.93	0	209.59	209.59	0	55.72	9.31
राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	0	7.57	7.57	0	5.08	5.08	0	2.44	0.45
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	0	9.40	9.40	0	4.80	4.80	0	1.40	0
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृति	0	90.30	90.30	0	92.74	92.74	0	59.09	0
अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृति	0	162.04	162.04	0	3.21	3.21	0	0	0
पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृति	0	0	0	0	15.00	15.00	0	0	0
अनु जाति कक्षा 9 से 10 तक	0	0	0	0	0	0	0	12.82	12.82

( ) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** (स्त्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**अ**....श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाए) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

(संगठनात्मक ढ़ांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्षित किया जाए)

( )**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। विधवा पुत्री की शादी योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर :–1– दिशानिर्देशों के विपरित 40 प्रतिशत से कम अनुसुचित जाति आबादी क्षेत्र में रु0 27.00 लाख के अवस्थपना के अनियमित कार्य निष्पादित कराये जाना।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के विभ्न्नि आदेशों के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद में 05 निर्माण कार्यो के लिए रु0 52.87 लाख का आवंटन किया गया। इन कार्यो में सी0 सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन विद्यालय में खेल के मैदान का निर्माण आदि कार्य सम्मिलित थें। शासनादेश सख्याँ 125/XVII(1)/09–42 प्रकोष्ठ/2007, दिनाँक 13 फरवरी 2009 के अनुसार अवस्थापना के अर्न्तगत वर्णित प्रावधानों के बिन्दु 03 में यह प्रावधानित है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार ग्रामों में अनुसूचित जाति के **40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आबादी हो तो प्रथमतः अवस्थापना सृजन हेतु अनुसूचित जाति आबादी वाले ग्रामों को चयनित किया जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे राजस्व ग्राम से है जिनकी 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक आबादी अनुसूचित जाति का हो।** जिन विकास खण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या वाले समस्त ग्राम एवं वार्ड संतृप्त हो चुके है उन विकास खण्डो एवं नगरीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से कम किन्तु 30 प्रतिशत एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत विकास कार्यो के लिए चयन किया जा सकता है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत के अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष के दौरान शासन द्वारा धनराशि रु0 52.87 लाख के कुल 05 कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कार्यो में धनराशि रु0 27.00 लाख के दो निर्माण कार्य ऐसे ग्राम पंचायत में सम्पादित किया जाना सम्मिलित थे जिनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से कम थी। उपरोक्त प्रावधानानुसार इस हेतु कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि जनपद के सभी विकास खण्डों एवं ग्रामों में अनुसूचित जाति उप योजना के कार्य पर्याप्त मात्रा में सम्पादित किये जा चुके है। इन कार्यो के लिए प्रस्ताव अनियमित रुप से कार्यालय द्वारा तैयार कर **निदेशालय** के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया था। कार्यो का विवरण निम्नवत् है;

(धनराशि रु0 लाख में)

क्रम सख्या	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	कार्य की वर्तमान प्रगति(प्रतिशत में)
01	ग्राम पंचायत गंगनौला के अनु0 जाति बाहुल्य ग्राम बचकडिया के शिलिंग चौड में खेल मैदान निर्माण	**15.00**	**15.00**	**33**
02	ग्राम पंचायत गंगनौला के अनु0 जाति बाहुल्य ग्राम बचकडिया सम्पर्क मार्ग व बैक वाल का निर्माण	**12.00**	**12.00**	**33**
योग		**47.00**	**47.00**	

उपरोक्त तालिका में जो कार्य स्वीकृत किये गये है एवं निर्माणधीन है इन ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति की जनसख्या 40 प्रतिशत से कम है। जो कि दिशा–निदेर्शो की अवहेलना है। इसके अतरिक्त यह भी संज्ञान में आया कि उक्त कार्य की समस्त धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को अप्रैल 2018 में अवमुक्त की गयी थी। कार्यदेश के अनुसार समस्त कार्य जुलाई में पूर्ण किये जाने चाहिऐ थे। जबकि सम्प्रेक्षा अवधि (अगस्त/2018) तक कार्य की प्रगति 33 प्रतिशत है। जनपद कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का अनुश्रवण निमार्ण कार्यो के लिए नही किया जा रहा है। यदि कार्यो का अनुश्रवण किया जाता तो कार्य के पूर्ण होने के विलम्ब से बचा जा सकता था। क्योकि समय से कार्य पूर्ण न होने की दशा में योजना का उदेश्य विफल रहा। क्योकि यह योजना अनुसूचित जाति के सर्वागीण विकास के लिए समस्त क्षेत्रों में पहुचाये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के लिए है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि भविष्य में अनुसूचित जाति के 40 प्रतिशत से कम जनसख्या वाले ग्राम को अच्छान्दित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद के अन्य सभी ग्राम में प्रयाप्त भाग में कार्य हो चूका हो। इकाई के उत्त्र से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है। क्याकि कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित ही नहीं किया गया कि जनपद के सभी विकास खण्डों एवं ग्रामों में अनुसूचित जाति उप योजना के कार्य पर्याप्त मात्रा में सम्पादित किये जा चुके है।

अतः दिशानिर्देशों के विपरित 40 प्रतिशत से कम अनुसुचित जाति आबादी क्षेत्र में रु0 27.00 लाख के अवस्थपना के अनियमित कार्य निष्पादित कराये जाना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर :1–रू 3.67 लाख की अक्रियाशील धोषित निष्प्रोज्य सामग्री निस्तारण न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग 01 क नियम 260 ए के परिशिष्ट XIX-D के नियमानुसार उपकरणों के अक्रियाशील धोषित होने के पश्चात यथाशीध्र सावर्जनिक नीलामी की कार्यवाही कर प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा की जानी चाहिए। कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत की लेखापरीक्षा जाचॅ में पाया गया कि कुल धनराशि रू 3.68 लाख के 16 उपकरण जैसे फोटो कापियर फैक्स मशीन आदि अक्रियाशील/अनुपयोगी हो गयी थी। जिसे लेखापरीक्षा **तिथि** तक नीलामी की कोई कार्यवाही नही की गयी है। विवरण निम्न हैः–

क्रम सख्या	**उपकरण सामग्री को नाम**	**मात्रा**	**उपकरण क मूल्य**
1	गोदरेज टाइट राईटर	04	47201
2	एच सी एल कम्पयूटर	01	75900
3	प्रिन्टर	01	7400
4	एच सी एल कम्पयूटर	01	64921
5	कुर्सिया लकड़ी	08	4056
6	फोटो स्टेट मशीन तोशिबा	01	107267
7	ब्लोअर हीटर कन्वेटर	01	2460
8	प्रिन्ट स्कैन कापी	01	28500
9	फैक्स मशीन पैनासोनिक	01	14997
10	रिवालविगं चेयर	01	3300
11	विद्युत स्टेपलाईजर	01	2450
12	वाटर फिल्टर स्टील	01	875
13	कुर्सिया रिवाल्विग	02	2300
14	विद्युत स्टेपलाईजर	01	4700
15	कल्कयुलेटर	02	260
16	प्लास्टिक कुर्सी	02	710
योग			**367297**

इस प्रकार उक्त समस्त सामग्री निष्प्रोज्य धोषित के पश्चात भी निलामी न करने के फलस्वरूप मुल्य के निरन्तर हास्र होने की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि निष्प्रोज्य सामग्रियों के निलामी की प्रक्रिया गतिमान है जिसे शीध्र ही निलाम कर दिया जायेगा तथा प्राप्त धनराशि को चालान के माध्यम से प्राप्ति मद में जमा कर दिया जायेगा। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि समाग्री निष्प्रोज्या होने के पश्चात अविलम्ब समाग्री का निस्तारण किया जाना चाहिऐ था। जिससे की सामग्री मुल्य के निरंतर ह्रास होने से राजस्व हानि से बचा जा सकता था।

अतः रू 3.67 लाख अक्रियाशील धोषित **निष्प्रोज्य सामग्री निस्तारण न करने का प्रकारण सज्ञांन में लाया जाता है।**

STAN

प्रस्तर 2 :- कार्यालय में संचालित 09 बैंक खातों में ₹ 0.83 करोड़ की धनराशि का अवरोधन

उत्तराखंड शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की एक बड़ी धनराशि बैंकों में जमा की जाती रही है, अतः जब किसी कार्य के लिए निधि की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाए, साथ ही सरकारी विभागों में बैंक खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है, शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु खाता संचालित किया जा सकता है अन्यथा यदि कोई अनधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बंद किया जाए एवं उस खाते की धनराशि विभागीय पीएलए में तथा उस पर प्राप्त ब्याज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में तत्काल जमा करा दिया जाए

कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्तमान में कार्यालय में संचालित 09 बेकों में दिनांक 31.08.2018 को निम्नानुसार धनराशि थी

बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**राशि (लाख में)**
बैंक ऑफ बरोड़ा	52810200000019	6,96,800
इलाहाबाद बैंक	50195962869	3,15,176
अल्मोड़ा अर्बन कोओप रेटिव बैंक	SB 229	2,24,511
पंजाब नेशनल बैंक	4954000400000264	43,56,263
उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	4304005799	74,519
पिथोरगढ़ जिला सहकारी बैंक	000834001000865	15,57,629
भारतीय स्टेट बैंक	10831016444	8,91,710
केनरा बैंक चंपावत	6381101000335	5,193
केनरा चंपावत	6381101000334	2,06,752
कुल योग		83,28,553

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने उत्तर दिया कि खातों में अवशेष धनराशि योजनाओं की वापस प्राप्त धनराशि है जिसे कुछ लाभार्थियों को भुगतान किया जाना है, आवश्यकतानुसार कुछ खातों को रखते हुए शेष अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर दिया जाएगा । उत्तर मान्य नहीं हैं, प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
92	2012-13	0	01,02,03,04,05	01
26	2015-16	01	01,02,03,04	04,05,06
66	2017-18	0	01	01,02,03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत लेखापरीक्षा पर आधारित लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया कि वर्तमान में आख्या तैयार नहीं की गयी है तथा आश्वासन दिया गया कि आपत्तियों की वर्तमान स्थिति को लेते हुए शीघ्र ही अनुपालन आख्या तैयार कर उचित माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	श्री पी0 सी0 जोशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी	26.07.2017 तक
2	श्री वी0डी0पंत	जिला समाज कल्याण अधिकारी	27.07.2017 से 31.12.2017 तक
3	श्री आर0सी0 तिवारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी	01.01.2018 से 31.08.2018 तक
4	श्री पी0एस0 ब्रजवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी	01.09.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र